



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 406 राँची, गुरुवार, 30 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
20 जून, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

10 जून, 2024

संख्या-5/आरोप-1-7/2024-25765 (HRMS)--राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-700/रा०, दिनांक 04.03.2024 द्वारा सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2024 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए श्री गिरेन्द्र टूटी, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गम्हरिया, सरायकेला-खरसावाँ, सम्प्रति-अंचल अधिकारी, कोडरमा को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है ।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री टूटी को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में श्री टूटी का मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में इनको झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	GIRENDRA TUTI (250574)	श्री गिरेन्द्र टूटी, झांझा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गम्हरिया, सरायकेला-खरसावाँ, सम्प्रति-अंचल अधिकारी, कोडरमा को निलंबित किया जाता है ।	10/06/2024

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या: 20060400057
